UPMT010015102026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–690/2026

भारती शर्मा आदि प्रति उ.प्र. राज्य

आदेश

1. मु.अ.सं. 101/2026, धारा– 318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला मथुरा के अभियुक्तगण **भारती शर्मा व संजय शर्मा** की ओर से स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी सोनू शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी जोशी मोहल्ला राधाकुण्ड, थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा हाल निवासी सुदामापुरी कॉलोनी राधाकुण्ड का रहने वाला है। प्रार्थी बीसीए पास है तथा नौकरी की तलाश में था। इसी दौरान कस्बा राधाकुण्ड के गौरांग दास पुत्र स्व० गोविन्द देव नाथ निवासी गौरेधाम कॉलोनी राधाकुण्ड ने प्रार्थी से संपर्क कर बताया कि उसके परिचितों की कृषि विभाग व रेलवे विभाग में ऊँची पहुँच है और वे नौकरी लगवा सकते हैं। दिनांक 10.02.2023 को गौरांग दास प्रार्थी व उसके पिता को श्रीमती भारती शर्मा पत्नी संजय शर्मा निवासी होली गली गोपालपुरा, थाना कोतवाली, मथुरा के पास लेकर गया, जहाँ भारती शर्मा व उसके पति संजय शर्मा ने प्रार्थी की नौकरी कृषि विभाग में तथा प्रार्थी के रिश्तेदार अभिषेक शर्मा की नौकरी रेलवे में लगवाने का विश्वास दिलाया तथा कुल 25 लाख रुपये की मांग की। दिनांक 11.02.2023 को प्रार्थी द्वारा 1 लाख रुपये नकद दिए गए तथा बाद में अभिषेक शर्मा द्वारा एफडीआर तुड़वाकर 4 लाख रुपये दिए गए। इसके बाद प्रार्थी की माता द्वारा प्लॉट बेचकर 12 लाख रुपये दिए गए। बाद में अभियुक्तों के कहने पर विभिन्न खातों में यूपीआई व आरटीजीएस के माध्यम से लगभग 6 लाख रुपये और ट्रांसफर किए गए। दिनांक 05.07.2025 को अभियुक्तों द्वारा प्रार्थी को कृषि विभाग तथा अभिषेक शर्मा को रेलवे का नियुक्ति पत्र दिया गया और प्रार्थी को नोएडा सेक्टर–62 स्थित एक संस्थान में प्रशिक्षण के नाम पर भेज दिया गया, जबकि अभिषेक को रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन पर बैठा दिया गया। कुछ दिन बाद जब दोनों को नौकरी संबंधी कोई वैध प्रक्रिया नहीं मिली तो उन्हें धोखाधड़ी का संदेह हुआ। शिकायत करने पर अभियुक्तों ने प्रार्थी के पिता के नाम 4,00,000 रुपये का एक चेक दिया जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद अभियुक्तों ने पैसे लौटाने से साफ इंकार कर दिया। इस प्रकार भारती शर्मा, संजय शर्मा, गौरांग दास तथा उनके साथी मुन्ना यादव, विवेक यादव व मनतोष कुमार ने

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.17 10:26:01 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आपस में मिलकर प्रार्थी व उसके रिश्तेदार से नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर लगभग 23 लाख रुपये हड़प लिए तथा फर्जी नियुक्ति पत्र व दस्तावेज दिए। अतः निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

3. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं०–101/2026, धारा– 318(4), 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) पंजीकृत किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि उक्त वाद में आवेदकगण/अभियुक्तगण को कतई झूठा एवम गलत फंसाया गया है। अभियुक्तगण कतई निर्दोष है। अभियुक्तगण/आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित घटना कतई काल्पनिक एवं बनावटी है कोई निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। जो रूपये का हस्तानान्तरण बताया जाता है वह मनतोष, मुन्ना यादव, विवेक यादव के खाते में ट्रान्सफर करना बताया गया है। कहानी इसीलिए भी अविश्वसनीय है कि वर्ष 2015 से अभियुक्त/आवेदक होली गली मथुरा में रहता/ रहती ही नहीं है व अशोक विहार सदर मथुरा में रह रहा है। अभियुक्त/आवेदकगण के परिवार से वादी के पिता का काफी समय से परिचय था। वादी के पिता ने अभियुक्तगण से 20.03.2025 को आवश्यकता पड़ने पर 5 लाख रूपये उधार लिये थे तथा शीघ्र ही लौटाने का आश्वासन दिया था लेकिन बार–बार तगादा करने पर भी पैसे नहीं लौटाये। अभियुक्त पूर्व परिचय होने के कारण कुछ नहीं कह सका और मानवता के नाते कोई कार्यवाही भी नहीं की क्योंकि वादी के पिता बार–बार पैसा लौटाने का आश्वासन दे रहे थे लेकिन अभियुक्त के रूपये हडपने के लिये तथा अभियुक्त रूपये वापिस न मॉगे इसके लिये दबाब बनाने के इरादे से यह झूठी एवं काल्पनिक कहानी बनाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। अभियुक्तगण/आवेदकगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता। पुलिस अभियुक्तगण को गिरफ्तार करना चाहते है तथा गिरफ्तारी के लिये लगातार दबिश दे रही है। आवेदकगण की गिरफ्तारी की प्रबल आशंका है। अभियुक्तगण अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा विचारण एवं विवेचना में सहयोग करेंगे। उक्त आधार पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी ।

5. थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा का कथन है कि अभियुक्तगण के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। जांच में सामने आया कि उन्होंने वादी एवं उसके रिश्तेदार से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी धनराशि ली और फर्जी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए। प्रकरण में धनराशि के लेन–देन से संबंधित साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं तथा अन्य सह–अभियुक्तों की भूमिका की भी जांच प्रचलित है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित नहीं होगा। अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता)** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

(2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?

(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,

(4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

8. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी तथा उसके रिश्तेदार अभिषेक शर्मा को कृषि विभाग व रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर विभिन्न अवसरों पर लगभग 24 लाख रुपये हड़प लेने तथा फर्जी नियुक्ति पत्र देकर प्रशिक्षण के नाम पर विभिन्न स्थानों पर भेजने का आरोप आक्षेपित है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित हैं। अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुये स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाकर तथा वादी को अनुचित नुकसान पहुँचाकर वादी एवं उसके रिश्तेदार से 24 लाख रुपये हड़प लेना बताया गया है। विवेचना अभी प्रारंभिक अवस्था में प्रचलित है तथा अभियोजन के अनुसार धनराशि के लेन–देन से संबंधित अभिलेखीय एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रित किए जाने की कार्यवाही जारी है। साथ ही प्रकरण में एक से अधिक सह–अभियुक्तों की संलिप्तता का आरोप है, जिनकी भूमिका का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाना अभी शेष है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः–16.03.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191